न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 34 / 2025

दशरथ यादव पुत्र श्री बद्री लाल यादव निवासी वार्ड नंबर 12 श्रीनगर जिला अजमेर राजस्थान

– प्रार्थी / सुपुर्दगीगार

बनाम

जिला रसद अधिकारी जरिये प्रवर्तन अधिकारी

–अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक प्रार्थी

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497 / 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

–:आदेशः–

दिनांक 06.01.2026

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी / सुपुर्दगीदार दशरथ यादव पुत्र श्री बद्रीलाल यादव निवासी वार्ड नंबर 12 श्रीनगर जिला अजमेर (राजस्थान) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497 / 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन मारूती शिफ्ट जेडडीआई नंबर RJ 01 GC 0645 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर ने उक्त वाहन अपराध अन्तर्गत धारा 3 / 7 आवश्यक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी प्रकार से लिप्त नहीं है ना ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी चला आ रहा है। प्रार्थी का उपरोक्त वाहन पर 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अपराध बनना नहीं पाया जाता है। जिला रसद अधिकारी द्वारा ऐसे कोई तथ्य या सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे प्रार्थी का वाहन अवैध गतिविधि में लिप्त पाया हो। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा बिना किसी जुर्म के प्रार्थी का वाहन जब्त किया गया। उक्त वाहन थाने पर देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन प्रार्थी का दैनिक रोजमर्रा का आवश्यक साधन है जिसके अभाव में प्रार्थी को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को वाहन मारूती शिफ्ट जेडडीआई नंबर RJ 01 GC 0645 को सुपुर्दगीनामें पर लौटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर टिप्पणी हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर को लिखा गया। टिप्पणी प्राप्त होने पर सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि दिनांक 01.10.2025 को पुलिस द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के सबंध में सूचना प्राप्त होने पर

जिला कलक्टर
अजमेर

नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, सुनीता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश कुमार बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ नौलखा तिराहे के सामने एन.एच 48 के पास श्रीनगर स्थित दशरथ यादव द्वारा संचालित पार्किंग कारोबार स्थल पर पहुँचे। मौके पर श्री श्रवण लाल सहायक उप निरीक्षक आई.सी पुलिस थाना श्रीनगर मय जाब्ता उपस्थित मिले, उन्होनें तहरीर प्रस्तुत करके बताया कि जरिये उच्चाधिकारियों व डी.एस.टी से सूचना मिली कि नौलखा तिराहे के पास एन.एच 48 के सामने यादव पार्किंग श्रीनगर में अवैध बायोडीजल का कारोबार किया जा रहा था जिस पर डी.एस.ओ को सूचित किया गया। मौके पर टिनशेड में 08 सफेद टंकिया, 01 चौकोर टंकी व 15 लोहे के ड्रम पाये गये, जिनमें पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिनका माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03 टंकियो एवं एक–एक लीटर की दो टंकियो में कुल 4250 लीटर हल्का हरा–पीला रंग का डीजल जैस पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं 1000 लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा 1000 लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टिन शेड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000 लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लोहे के ड्रम व 220 लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा–पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टीनशेड के बाहर एक ट्रक टैंकर RJ 42 GA 1375 खडा पाया जिसमें टैंकर में पांच कपार्टमेंट तथा कुल क्षमा 34000 लीटर लिखी हुई है, जिसमें कंपार्टमेट क्रमशः 1,2,3,5 में हल्का पीला रंग का पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया। जिसका माप करवाने पर कुल 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। ट्रक टैंकर के टैंक से टिन शेड में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर से पाइपों के माध्यम से लोहे के नोजलनुमा संरचना से जुडा हुआ था इसके पास में ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947 मौजूद था, जो कि टिन शेड कमरानुमा में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर, प्लास्टिक पाईप व नोजल से जुडा हुआ था अर्थात उक्त ट्रेलर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को मौके पर तत्समय भरा जा रहा था। मौके पर एक ट्रेक्टर टेंकर भी मौजूद था जिसमें नोजलनुमा पैट्रोलियम पदार्थ भरने के लिये प्लास्टिक पाईप इलैक्ट्रिक मोटर लगे हुये थे। इसके अतिरिक्त मौके पर टिन शेड (कमरानुमा) में एक इलैक्ट्रिक मोटर 10–10 लीटर क्षमता लिखा हुआ (अप्रमाणिक) माप, 05 लीटर क्षमता लिखा हुआ एक (अप्रमाणिक) माप, 1–1 लीटर क्षमता लिखा हुये दो (अप्रमाणिक) माप 03 अप्रमाणिक गेज माप पाये गये। मौके पर एक मारूती शिफ्ट नंबर RJ 01 CD 0645 भी मौजूद थी मौके पर श्री पुनीत यादव पुत्र श्री दशरथ यादव निवासी जादम मौहल्ला श्रीनगर उपस्थित मिले, जिन्होने बताया कि यह परिसर नूसत श्री रामकरण यादव का है जिसे उनके पिताजी श्री दशरथ यादव ने किराये पर ले रखा है इस पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार को श्री दशरथ यादव देखते है तथा पिताजी के कार्य में सहयोग करते है उक्त वाहन कार मेरे पिताजी श्री दशरथ यादव की है, कारोबार में आने जाने के दौरान उक्त कार काम में आती है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8,

जिला कलक्टर
अजमेर

3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मारूती शिफ्ट नंबर RJ 01 CD 0645 को राजसात करने के आदेश फरमावे।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खड़े रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन मारूती शिफ्ट नंबर RJ 01 CD 0645 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 01.10.2025 को पुलिस द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के सबंध में सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, सुनीता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बड़ाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश कुमार बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ नौलखा तिराहे के सामने एन.एच 48 के पास श्रीनगर स्थित दशरथ यादव द्वारा संचालित पार्किग कारोबार स्थल पर पहुँचे। मौके पर श्री श्रवण लाल सहायक उप निरीक्षक आई.सी पुलिस थाना श्रीनगर मय जाब्ता उपस्थित मिले, उन्होने तहरीर प्रस्तुत करके बताया कि जरिये उच्चाधिकारियों व डी.एस.टी से सूचना मिली कि नौलखा तिराहे के पास एन.एच 48 के सामने यादव पार्किग श्रीनगर में अवैध बायोडीजल का कारोबार किया जा रहा था जिस पर डी.एस.ओ को सूचित किया गया। मौके पर टिनशेड में 08 सफेद टंकिया, 01 चौकोर टंकी व 15 लोहे के ड्रम पाये गये, जिनमें पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिनका माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03 टंकियो एवं एक–एक लीटर की दो टंकियो में कुल 4250 लीटर हल्का हरा–पीला रंग का डीजल जैस पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं 1000 लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा 1000 लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टिन शेड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000 लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लोहे के ड्रम व 220 लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा–पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टीनशेड के बाहर एक ट्रक टेंकर RJ 42 GA 1375 खडा पाया जिसमें टैंकर में पांच कंपार्टमेंट तथा कुल क्षमा 34000 लीटर लिखी हुई है, जिसमें कंपार्टमेट कमशः 1,2,3,5 में हल्का पीला रंग का पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया। जिसका माप करवाने पर कुल 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। ट्रक टेंकर के टैंक से टिन शेड में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर से पाइपों के माध्यम से लोहे के नोजलनुमा संरचना से जुडा हुआ था इसके पास में ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947 मौजूद था, जो कि टिन शेड कमरानुमा में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर, प्लास्टिक पाईप व नोजल से जुडा हुआ था अर्थात उक्त ट्रेलर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को मौके पर तत्समय भरा जा रहा था। मौके पर एक ट्रेक्टर टेंकर भी मौजूद था जिसमें नोजलनुमा पैट्रोलियम पदार्थ भरने के लिये प्लास्टिक पाईप इलैक्ट्रिक मोटर लगे हुये थे। मौके पर श्री दीपक यादव पुत्र श्री सम्पत यादव निवासी रामपुरा अहीरास, पी.एस.श्रीनगर मौजूद मिले है उन्होने बताया कि ट्रक टेलर संख्या RJ 01 GC 1947 के चालक है कि दशरथ यादव द्वारा 80 रूपये

प्रति लीटर की दर से डीजल बेचा जाता है सस्ता होने की वजह से वह यहाँ डीजल भरवाने आये है उसी समय पुलिस जाप्ता आया है और दिनांक 01.10.2025 को शाम के समय यह कार्यवाही करने के बाद से वह यहीं पर है। मौके पर एक मारूती शिफ्ट नंबर RJ 01 CD 0645 भी मौजूद थी मौके पर श्री पुनीत यादव पुत्र श्री दशरथ यादव निवासी जादम मौहल्ला श्रीनगर उपस्थित मिले जिन्होने बताया कि यह परिसर नूसत श्री रामकरण यादव का है जिसे उनके पिताजी श्री दशरथ यादव ने किराये पर ले रखा है इस पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार को श्री दशरथ यादव देखते है उक्त वाहन कार मेरे पिताजी श्री दशरथ यादव की है, कारोबार में आने जाने के दौरान उक्त कार काम में आती है। इस प्रकार उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है प्रार्थी ने मारूती शिफ्ट नंबर RJ 01 CD 0645 को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त वाहन मारूती शिफ्ट नंबर RJ 01 CD 0645 के प्रथम दृष्टया पैट्रोलियम पदार्थ के अवैध करोबार में लिप्त होने के फलस्वरूप रूपये 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को आदेशित किया जाता हैं कि सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा शास्ति राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर स्वामित्व बाबत् सन्तुष्ट होने पश्चात् सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर